

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-290

सोमवार, 24 जून, 2019/3 आषाढ, 1941 (शक)

शिक्षित बेरोजगार युवा

290. श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा:
श्रीमती गीताबेन वजे सिंहभाई राठवा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान में देश में पंजीकृत शिक्षित/अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की राज्य-वार कुल संख्या विशेषकर महिलाओं की राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार संख्या कितनी है;
- (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नौकरी पाने वाले युवाओं की राज्य/वर्ष-वार संख्या कितनी है;
- (ग) क्या हाल के वर्षों में देश में रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं; और
- (घ) यदि हां, तो वर्ष 2017-18 के दौरान रोजगार सृजन के लिए निर्धारित लक्ष्यों और हासिल किए गए लक्ष्यों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पोर्टल पर पंजीकृत रोजगार चाहने वाले, जिसमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

(ख से घ): नियोजनीयता में सुधार करने के साथ-साथ रोजगार का सृजन करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित रोजगार के ब्यौरे अनुबंध- II, III, IV एवं V में दिए गए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। 31.05.2019 तक, योजना ने 151579 प्रतिष्ठान तथा 1.21 करोड़ लाभार्थी शामिल कर लिए हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। 31 मार्च, 2019 तक, योजना के तहत 18.26 करोड़ ऋण (संचयी आधार पर) संस्वीकृत किए गए हैं।

लोक सभा के दिनांक 24.06.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 290 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर (31 मई, 2019 को) पंजीकृत सक्रिय रोजगार चाहने वालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर	कुल*
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1.79	1.25	0.00	3.04
2.	आंध्र प्रदेश	63.59	37.10	0.04	100.73
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.53	0.45	0.00	0.99
4.	असम	10.34	3.37	0.01	13.71
5.	बिहार	782.78	185.26	0.17	968.21
6.	चंडीगढ़	8.63	5.77	0.00	14.41
7.	छत्तीसगढ़	70.45	37.06	0.06	107.57
8.	दादर और नगर हवेली	0.66	0.58	0.00	1.24
9.	दमन और दीव	0.07	0.01	0.00	0.08
10.	गोवा	30.00	19.03	0.00	49.04
11.	गुजरात	75.13	21.15	0.04	96.32
12.	हरियाणा	23.18	8.39	0.01	31.58
13.	हिमाचल प्रदेश	9.52	4.78	0.01	14.31
14.	जम्मू और कश्मीर	21.88	6.26	0.01	28.15
15.	झारखंड	18.91	5.02	0.01	23.94
16.	कर्नाटक	52.68	21.33	0.02	74.03
17.	केरल	33.78	19.69	0.02	53.49
18.	लक्षद्वीप	1.06	1.28	0.00	2.35
19.	मध्य प्रदेश	65.22	26.10	0.02	91.35
20.	महाराष्ट्र	2,919.70	1,010.38	0.66	3,930.74
21.	मणिपुर	2.81	1.26	0.00	4.07
22.	मेघालय	0.58	0.17	0.00	0.75
23.	मिजोरम	1.07	1.05	0.00	2.12
24.	नागालैंड	0.19	0.07	0.00	0.26
25.	एन.सी.टी.दिल्ली	33.75	10.99	0.01	44.75
26.	ओडिशा	31.10	8.43	0.01	39.54
27.	पुडुचेरी	37.08	39.09	0.00	76.17
28.	पंजाब	43.51	24.21	0.02	67.74
29.	राजस्थान	419.51	162.63	0.02	582.15
30.	सिक्किम	0.47	0.45	0.00	0.92
31.	तमिलनाडु	54.68	21.72	0.03	76.43
32.	तेलंगाना	70.46	40.05	0.01	110.52
33.	त्रिपुरा	87.21	58.91	0.03	146.15
34.	उत्तर प्रदेश	246.79	82.17	0.13	329.09
35.	उत्तराखंड	20.74	4.73	0.01	25.48
36.	पश्चिम बंगाल	1,248.39	932.08	0.87	2,181.34
37.	राज्य विनिर्दिष्ट नहीं	452.74	296.79	0.51	750.04
	अखिल भारत*	6,940.99	3,099.07	2.72	10,042.78

स्रोत: राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल

नोट: * हो सकता है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

लोक सभा के दिनांक 24.06.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 290 के भाग (ख से घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत राज्य-वार सृजित रोजगार

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	अनुमानित सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)		
		2016-17	2017-18	2018-19 (31.12.2018 को)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1398	1744	1104
2	आंध्र प्रदेश	14148	12216	9728
3	अरुणाचल प्रदेश	1984	1672	1504
4	असम	31498	18256	16752
5	बिहार	25872	18456	11688
6	चंडीगढ़	376	360	0136
7	छत्तीसगढ़	12856	11704	12896
8	दिल्ली	952	920	424
9	गोवा	660	400	304
10	गुजरात*	11629	15008	15720
11	हरियाणा	11016	13744	9232
12	हिमाचल प्रदेश	6916	7088	6296
13	जम्मू और कश्मीर	11691	30024	31160
14	झारखंड	10400	8888	5032
15	कर्नाटक	30286	16920	16624
16	केरल	13068	10776	10624
17	लक्षद्वीप	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	15520	14432	9040
19	महाराष्ट्र**	17799	26632	24496
20	मणिपुर	8419	4800	4864
21	मेघालय	2632	600	1496
22	मिजोरम	3400	1992	3600
23	नागालैंड	7783	7440	3432
24	ओडिशा	20392	19192	12976
25	पुडुचेरी	699	352	384
26	पंजाब	9858	12160	7936
27	राजस्थान	13408	12614	10296
28	सिक्किम	201	296	232
29	तमिलनाडु	25764	32760	23408
30	तेलंगाना	6445	9520	8376
31	त्रिपुरा	17961	8928	3120
32	उत्तर प्रदेश	36315	43456	27600
33	उत्तराखंड	9890	12904	10144
34	पश्चिम बंगाल	26604	10928	11352
	योग	407840	387182	311976

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

* दमन और दीव सहित ** दादर और नगर हवेली सहित

लोक सभा के दिनांक 24.06.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 290 के भाग (ख से घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत राज्य-वार सृजित मानव-दिवस

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	सृजित मानव-दिवस (करोड़ में)		
		2016-17	2017-18	2018-19 (30/01/2019 को)
1	आंध्र प्रदेश	20.60	21.20	20.23
2	अरुणाचल प्रदेश	0.85	0.43	0.42
3	असम	4.66	4.82	3.28
4	बिहार	8.58	8.18	9.57
5	छत्तीसगढ़	8.86	11.99	10.33
6	गोवा	0.013	0.010	0.001
7	गुजरात	2.71	3.53	3.25
8	हरियाणा	0.85	0.90	0.59
9	हिमाचल प्रदेश	2.37	2.20	2.35
10	जम्मू और कश्मीर	3.16	3.78	2.49
11	झारखंड	7.07	5.93	4.20
12	कर्नाटक	9.14	8.58	8.02
13	केरल	6.85	6.20	7.09
14	मध्य प्रदेश	11.30	16.23	16.60
15	महाराष्ट्र	7.09	8.25	6.41
16	मणिपुर	1.19	0.61	0.51
17	मेघालय	2.83	2.92	2.27
18	मिजोरम	1.68	1.44	1.35
19	नागालैंड	2.91	2.37	0.79
20	ओडिशा	7.74	9.22	6.79
21	पंजाब	1.58	2.23	1.53
22	राजस्थान	25.96	23.98	19.16
23	सिक्किम	0.46	0.35	0.26
24	तमिलनाडु	39.99	23.89	18.89
25	तेलंगाना	10.82	11.47	10.71
26	त्रिपुरा	4.61	1.76	2.09
27	उत्तर प्रदेश	15.75	18.17	17.48
28	उत्तराखंड	2.37	2.23	1.69
29	पश्चिम बंगाल	23.56	31.26	31.00
30	अण्डमान और निकोबार	0.04	0.02	0.13
31	दादर और नगर हवेली	एनआर	एनआर	एनआर
32	दमन और दीव	एनआर	एनआर	एनआर
33	लक्षद्वीप	0.00001	0.00059	0.0008
34	पुडुचेरी	0.05	0.07	0.06
	योग	235.64	234.22	209.54

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

लोक सभा के दिनांक 24.06.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 290 के भाग (ख से घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार में नियोजित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या		
		2016-17	2017-18	2018-19 (10.01.2019 को)
1	आंध्र प्रदेश	18966	10954	21620
2	असम	1479	3464	5257
3	बिहार	4216	4859	5019
4	छत्तीसगढ़	1987	539	2193
5	गुजरात	2075	160	928
6	हरियाणा	586	5832	4065
7	हिमाचल प्रदेश	0	0	245
8	जम्मू और कश्मीर	6453	1424	152
9	झारखंड	2355	2375	1767
10	कर्नाटक	4432	4752	4148
11	केरल	5598	4175	7534
12	मध्य प्रदेश	3546	1823	1650
13	महाराष्ट्र	3694	7390	2404
14	मेघालय	0	0	202
15	ओडिशा	45726	14035	23672
16	पंजाब	0	563	1372
17	राजस्थान	3397	693	2782
18	सिक्किम	70	0	
19	तमिलनाडु	30780	765	121
20	तेलंगाना	9150	9048	13123
21	त्रिपुरा	342	526	1320
22	उत्तर प्रदेश	2052	892	2973
23	उत्तराखंड	0	0	157
24	पश्चिम बंगाल	979	1518	2362
25	योग	147883	75787	105066

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

लोक सभा के दिनांक 24.06.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 290 के भाग (ख से घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के तहत प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार में नियोजित अभ्यर्थियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	नियोजित किए गए कुशल प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या		
		2016-17	2017-18	2018-19 (23.01.2019 को)
1	आंध्र प्रदेश	35882	12010	39148
2	अरुणाचल प्रदेश	0	113	297
3	असम	293	1284	261
4	बिहार	176	1546	354
5	छत्तीसगढ़	5858	6476	3675
6	गोवा	66	639	1115
7	गुजरात	3920	6388	8981
8	हरियाणा	0	685	556
9	हिमाचल प्रदेश	86	100	149
10	जम्मू और कश्मीर	0	25	60
11	झारखंड	2700	20795	3334
12	कर्नाटक	637	898	0
13	केरल	443	2413	2566
14	मध्य प्रदेश	38060	3039	22913
15	महाराष्ट्र	11768	6083	12036
16	मणिपुर	0	0	62
17	मेघालय	317	111	7
18	मिजोरम	147	91	934
19	नागालैंड	341	1749	0
20	ओडिशा	2467	776	0
21	पंजाब	0	1139	1049
22	राजस्थान	0	33	1633
23	सिक्किम	0	0	228
24	तमिलनाडु	0	1156	1911
25	तेलंगाना	1861	10013	4249
26	त्रिपुरा	0	2	214
27	उत्तर प्रदेश	42174	30058	28
28	उत्तराखंड	1731	0	733
29	पश्चिम बंगाल	2691	6919	1257
30	चंडीगढ़	283	875	0
	योग	151901	115416	107750

स्रोत: आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय